



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28101

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या 8042 वर्ष 2024

प्रमोद कुमार गौतम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. चूंकि पक्षों के बीच प्रति-शपथ पत्र और प्रत्युत्तर-शपथ पत्र का आदान-प्रदान हो चुका है, इसलिए रिट याचिका का निर्णय प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे प्रारंभ में 09.12.1995 को जिला जेल, इटावा में जेल वार्डन के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रकाशित वरिष्ठता सूची में रिट याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 16 पर था। पात्र जेल वार्डन की मुख्य जेल वार्डन के पद पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए 18.11.2022 को एक विभागीय पदोन्नति समिति बुलाई गई थी। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता का नाम पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया और सूची में रिट याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 16 पर था। 18.11.2022 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद, रिट याचिकाकर्ता को वरिष्ठ जेल अधीक्षक, मेरठ द्वारा 11.01.2023 को निलंबित कर दिया गया और 13.10.2023 को अनुशासनिक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धियों को रोकने का दंड आरोपित किया, जिसके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता ने एक वैधानिक अपील दायर की, जिसका निर्णय 02.02.2025 को उप महानिरीक्षक, जेल प्रशासन एवं सुधार सेवा द्वारा किया गया, जिसके द्वारा संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धियों को रोकने के दंड को संशोधित कर परिनिंदा प्रविष्टि में बदल दिया गया। चूंकि जिस तिथि को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी, उस समय रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं था, लेकिन उसे मुख्य जेल वार्डन के पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 1636 वर्ष 2024 दायर की, जिसे 07.02.2024 को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें और उसके बाद अब महानिदेशक/निरीक्षक जनरल, जेल प्रशासन एवं सुधार सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा 30.04.2024 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

4. इसी को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. इस न्यायालय ने 22.05.2024 को प्रत्यर्थियों से जवाब मांगते हुए रिट याचिका स्वीकार की थी।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज द्वारा दिनांक 19.09.2024 को एक प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसके विरुद्ध एक प्रत्युत्तर-शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश एक क्षण के लिए भी बरकरार रखने योग्य नहीं है, विशेष रूप से उस तिथि को जब 18.11.2022 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी, तब रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं था, न ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया था और न ही रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित या विचारधीन थी, अतः केवल इस आधार पर कि बाद के समय में आरोप पत्र या विभागीय कार्यवाही शुरू की गई जिसके परिणामस्वरूप दंड मिला, उन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता जो डीपीसी के आयोजन की तिथि को रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्पन्न हुए थे। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत संघ बनाम के.बी. जानकीरमन (1991) 4 एससीसी 109 और भारत संघ बनाम डॉ. (श्रीमती) सुधा सलहान (1998) 0 एआईआर (एससी) 1094 के साथ-साथ समन्वय पीठ के निर्णय पर अवलम्ब लिया गया है।
8. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने प्रति-शपथ पत्र में निहित कथनों के आधार पर कहा कि यद्यपि जिस तिथि को अर्थात् 18.11.2022 को डीपीसी की बैठक हुई थी, रिट याचिकाकर्ता को वरिष्ठ जेल वार्डन के पद पर पदोन्नति दिए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया था, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कदाचार के कारण उसे 11.01.2023 को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद 13.10.2023 को संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धियों को रोकने का दंड दिया गया था और तत्पश्चात, रिट याचिकाकर्ता की अपील पर 02.02.2025 को उक्त दंड आदेश को संशोधित कर परिनिंदा प्रविष्टि कर दिया गया। हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि जिस तिथि को डीपीसी की बैठक हुई थी, उस समय रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं था। उनके अनुसार, उनके मुक्किल से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, इस संबंध में मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
9. मैंने न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को सुना और रिकॉर्ड का परिशीलन किया है।
10. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि पात्र जेल वार्डनों को हेड जेल वार्डन के पद पर पदोन्नति देने के लिए 18.11.2022 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि 18.11.2022 को रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी और न ही विचारधीन थी, किसी आरोप पत्र के जारी होने की बात तो दूर है। रिट याचिकाकर्ता को 11.01.2023 को निलंबित कर दिया गया था और 13.10.2023 को संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड पारित किया गया था। 11.01.2023 और 13.10.2023 की तिथियां, जब रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया या दंड आदेश पारित किया गया, डीपीसी बुलाए जाने की तिथि से पहले की या उसी दिन की नहीं हैं, बल्कि उसके बाद की हैं।
11. विद्वान अपर सीएससी से यह स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या डीपीसी बुलाए जाने की तिथि यानी 18.11.2022 को रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल था, उनका उत्तर नकारात्मक था। डॉ. (श्रीमती) सुधा सलहान (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.बी. जानकीरमन (उपरोक्त) के निर्णय का अनुसरण करते हुए पैरा 4 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

"4. हालांकि, यह प्रश्न इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय भारत संघ और अन्य बनाम के.बी. जानकीरमन और अन्य द्वारा समाप्त हो गया है, जिसमें यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। हम उपरोक्त निर्णय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हमारा यह भी मत है कि यदि उस तिथि को, जिस दिन किसी व्यक्ति के नाम पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, वह व्यक्ति न तो निलंबन के अधीन है और न ही उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, तो उसका नाम, यदि वह मेधावी और उपयुक्त पाया जाता है, चयन सूची में लाया जाना चाहिए और "सीलबंद लिफाफा" प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सकता है। विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश को "सीलबंद लिफाफे" में तभी रखा जा सकता है, जब पदोन्नति के लिए नाम पर विचार करने की तिथि पर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई हो या लंबित हो, या इसके पूर्ण होने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित न किए गए हों। यह स्पष्ट है कि यदि वह अधिकारी, जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, अंततः दोषमुक्त हो जाता है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश वाला सीलबंद लिफाफा खोल दिया जाएगा, और सिफारिश को प्रभावी किया जाएगा।"

12. चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित पूरा आधार और पक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति बुलाए जाने के बाद की घटनाओं पर निर्भर करता है और डॉ. (श्रीमती) सुधा सलहान (उपरोक्त) तथा के.बी. जानकीरमन (उपरोक्त) में निर्धारित कानून पर इस तथ्य के आलोक में विचार नहीं किया गया है कि डीपीसी बुलाए जाने के समय रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं था, इस प्रकार, न्यायालय की राय में, आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:-

(क) महानिदेशक/महानिरीक्षक, जेल प्रशासन, सुधार सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 को निरस्त किया जाता है;

(ख) इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर डॉ. (श्रीमती) सुधा सलहान (उपरोक्त) और के.बी. जानकीरमन (उपरोक्त) के निर्णय के आलोक में नया आदेश पारित करने के लिए मामला प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

15. दिनांक 02.02.2025 के दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 फरवरी, 2026